कोयला वितरण और विपणन

कोयला वितरण और विपणन

1. विद्युत, सीमेंट और इस्पात संयंत्रों को कोयले का आवंटन

इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल का आबंटन पहले कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता था। हालांकि, कोकिंग कोल के नियंत्रण मुक्त होने के बाद, कोयला कंपनियों द्वारा सरकारी इस्पात संयंत्रों को उनकी मौजूदा एमओयू प्रतिबद्धताओं के आधार पर कच्चे कोकिंग कोयले और धुले हुए कोकिंग कोयले की आपूर्ति की जा रही है। लिंकेज नीलामी शुरू होने के बाद कच्चे कोकिंग कोयले का आबंटन लिंकेज नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है।

2. कोल इंडिया लिमिटेड से क्षेत्र–वार कोयला ऑफ–टेक (अनंतिम)

जनवरी'24–नवंबर'24 की अवधि के दौरान सीआईएल से क्षेत्रवार कोयला ऑफ–टेक और दिसंबर'24–मार्च'25 के लिए अनुमान निम्नानुसार है: –

(मि.ट. में)

क्षेत्र	ए.ए.पी लक्षित ऑफ–टेक	वास्तविक ऑफ–टेक	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति %
इस्पात*	3.33	2.22	67%
विद्युत (यूटिलिटीज)	592.62	565.79	95%
कैप्टिव पावर	48.30	47.90	99%
सीमेंट	5.45	4.50	83%
स्पंज आयरन	9.84	7.03	71%
अन्य	94.36	66.29	70%
कुल प्रेषण	753.89	693.74	92%
कोलियरी खपत	0.15	0.14	94%
कुल	**754.04**	**693.88**	**92%**

**वाशरियों को कोकिंग कोल फीड और स्टील प्लांट्स के लिए डायरेक्ट फीड और ब्लेंडेबल शामिल हैं।*

क्षेत्र	दिसंबर 24– मार्च 25 (अनुमानित)
इस्पात*	1.29
विद्युत (यूटिलिटीज)	244.94
कैप्टिव पावर	21.14
सीमेंट	1.97
स्पंज आयरन	3.09
अन्य	31.52
कुल प्रेषण	303.95
कोलियरी खपत	0.05
कुल	304.00

3. एससीसीएल से सेक्टर–वार कोयला ऑफ–टेक:

जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 और जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 के दौरान एससीसीएल से क्षेत्रवार कोयला ऑफ–टेक नीचे दिया गया है:

(मि.ट. में)

क्षेत्र	जनवरी, 23 से दिसंबर, 23	जनवरी, 24 से दिसंबर, 24	वृद्धि %	अनुमान जनवरी–मार्च 2025
स्पंज आयरन	0.38	0.22	-42.11	0.08
विद्युत	60.11	58.89	-2.03	21.49
कैप्टिव पावर	3.17	1.55	-51.10	0.57
प्रमुख सीमेंट	2.93	1.41	-51.88	0.54
भारी जल संयंत्र	0.54	0.50	-7.41	0.19
ई–नीलामी	0.83	0.49	-40.96	0.18
अन्य	2.54	1.97	-22.44	0.74
कुल	70.50	65.03	-7.76	23.80

4. पावर हाउस:

कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल से जनवरी'24–नवंबर'24 के दौरान विद्युत क्षेत्र में कोयले का ऑफ–टेक 565.79 मि.ट. था। विद्युत क्षेत्र को कोयले की ढुलाई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 12.7 मि.ट. बढ़ी है

एससीसीएल

जनवरी, 24–दिसंबर, 24 के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले का वास्तविक ऑफ–टेक 58.89 मि.ट. है, जबकि जनवरी'23–दिसंबर'23 के दौरान 60.11 मि.ट. था।

5. सीमेंट संयंत्र:

कोल इंडिया लिमिटेड

जनवरी, 24 – नवंबर, 24 के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण 4.50 मिलियन टन (अनंतिम) था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4.37 मि.ट. था। प्रेषण में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3% की वृद्धि के साथ 0.13 मि.ट. की वृद्धि हुई है।

एससीसीएल

जनवरी, 24 – दिसंबर, 24 के दौरान सीमेंट संयंत्रों द्वारा कोयले का वास्तविक ऑफ–टेक जनवरी, 23 – दिसंबर, 23 के दौरान 2.93 मि.ट. के मुकाबले 1.41 मि.ट. है।

6. छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं को कोयले का वितरणे

छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं (जिनकी आवश्यकता 10,000 टन प्रति वर्ष से कम है) को कोयले की आपूर्ति के लिए एनसीडीपी के अनुसार राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित एजेंसियों को आबंटन हेतु 8 मि.ट. निर्धारित किया गया है। 2024–25 में (नवंबर, 24 तक) 12 राज्यों के 12 एसएनए (राज्य नामित एजेंसियों) को 0.96 मि.ट. की मात्रा आवंटित की गई है।

7. कोयले की ई–नीलामी

कोयले की ई–नीलामी के लिए सिंगल विंडो:– सरकार ने 2022 में कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की ई–नीलामी के लिए एक नए तंत्र को मंजूरी दी है। कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ववर्ती क्षेत्रकीय ई–नीलामी विंडो को समाप्त कर दिया गया है और अब से कोयला कंपनियों के सभी गैर–लिंकेज कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एकल ई–नीलामी विंडो के माध्यम से बेचा जाएगा। यह एकल ई–नीलामी विंडो सभी क्षेत्रों अर्थात् व्यापारियों सहित विद्युत और गैर–विनियमित क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करेगी। एकल ई–नीलामी विंडो कोयला

कंपनियों को बाजार आधारित मूल्य तंत्र के माध्यम से कोयले की बिक्री करने में सक्षम बनाएगी और इस प्रकार इस नीति को लागू करने से बाजार की विसंतियां दूर होंगी। इससे प्रचालनात्मक दक्षता में भी वृद्धि होगी और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता द्वारा घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि होगी।

7.1 सीआईएल में ई–नीलामी

सिंगल विंडो मोड एग्नॉस्टिक ई–नीलामी नीति 01.03.2023 से सीआईएल की कोयला कंपनियों में लागू की गई है। नवंबर, 24 तक, सभी ई–नीलामी इन–हाउस सीएमपीडीआईएल–एनआईसी पोर्टल पर आयोजित की गई थी। तदनंतर, ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नीलामी प्रक्रिया/स्कीम को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। चूंकि, इन हाउस पोर्टल संशोधित ऑपरेटिव तौर–तरीकों के अनुसार ई–नीलामी आयोजित करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए दिसंबर'24 से अंतरिम उपाय के रूप में, सीआईएल ई–नीलामी योजना 2022 के तहत ई–नीलामी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड एंड एमजंक्शन के नए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म में बाहरी सेवा प्रदाता के माध्यम से आयोजित की जानी है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, नवंबर, 24 तक ई–नीलामी के तहत कुल 54.44 मि.ट. की मात्रा का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 23 की इसी अवधि (अप्रैल, 23 से नवंबर, 23) के दौरान यह 49.73 मि.ट. था। वित्त वर्ष 24 (अप्रैल, 24 से नवंबर, 24) के दौरान फ्लोर प्राइस पर प्रीमियम 51% था, जबकि इसी अवधि वित्त वर्ष 23 (अप्रैल, 23 से नवंबर, 23) में 89% प्रीमियम प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2024–25 (नवंबर'24 तक) में ई–नीलामी का विवरण नीचे दिया गया है:–

सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक ई–नीलामी के तहत निष्पादन	
आवंटित कुल मात्रा (मिल टन में)	55.44
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रु में)	9673.24
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपये में)	14649.35
अधिसूचित मूल्य से अधिक वृद्धि (% में)	51%

7.2. एससीसीएल में कोयले की ई–नीलामी

एससीसीएल ने दिसम्बर, 2007 में कोयले की स्पॉट ई–नीलामी शुरू की थी। जनवरी, 23 से दिसंबर, 23 और जनवरी, 24 से दिसंबर, 24 के दौरान आयोजित स्पॉट नीलामी नीचे दी गई है: –

कंपनी	जनवरी, 2023 दिसंबर, 2023	जनवरी, 2024 दिसंबर, 2024
एससीसीएल	0.815 मि.ट.	0.525 मि.ट.

8. परिवहन के साधनः

8.1 कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल में कोयला और कोयला उत्पाद के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मेरी–गो–राउंड सिस्टम (एमजीआर), कन्वेयर बेल्ट और मल्टी मॉडल रेल–सह–समुद्री मार्ग हैं। जनवरी'24– नवंबर'24 के दौरान कोयले की कुल आवाजाही में परिवहन के इन साधनों का हिस्सा लगभग निम्नानुसार रहा है:

परिवहन के साधन (जनवरी, 24–नवंबर, 24)	शेयर %
रेलवे	55%
रोड	31%
एमजीआर	13%
बेल्ट – कन्वेयर/रोपवे	2%

8.2 एससीसीएल

एससीसीएल में कोयले के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, एनटीपीसी मेरी–गो–राउंड सिस्टम (एमजीआर) हैं। हवाई रोपवे द्वारा भारी जलसंयंत्र में थोड़ी मात्रा में कोयले का परिवहन किया जा रहा है। जनवरी'24– दिसंबर'24 के दौरान कोयले की कुल आवाजाही में परिवहन के इन साधनों का हिस्सा लगभग निम्नानुसार रहा है: –

परिवहन का तरीका (जनवरी'24– दिसंबर'24)	शेयर %
रेल	68.79%
रोड	15.67%
आरसीआर	1.89%
रस्सी	0.75%
एमजीआर	12.90%

9. नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के तहत हुई प्रगतिः

अक्तूबर, 2007 में नई कोयला वितरण नीति लागू होने से पहले उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों, कोर तथा नॉन–कोर क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता था। पहले उपभोक्ताओं को वर्गीकृत करने का आधार पूरी तरह से आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर आधारित था। तथापि, नई कोयला वितरण नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पूर्ववर्ती वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

इस नीति के अंतर्गत लागू विनियामक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ता के साथ गुणावगुण के आधार पर व्यवहार किया गया है।

विद्युत, सीमेंट और स्पंज आयरन क्षेत्र के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) उनके कोयले की आवश्यकता की सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत है। ऐसी सिफारिश के आधार पर सीआईएल के आश्वासन पत्र (सीएलओए) संबंधी समिति कोयला कंपनी–वार मात्रा का आबंटन जारी करती है। कोयला कंपनियां कोयला आपूर्ति के लिए ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) निष्पादित करने के लिए पात्र बनने हेतु एलओए धारक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किए जाने वाले विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ आश्वासन पत्र जारी करती हैं। सभी मौजूदा वैध उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति को कानूनी रूप से लागू ईंधन आपूर्ति करारों के अंतर्गत लाया गया है।

एनसीडीपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सीआईएल द्वारा की गई प्रगति का सार नीचे दिया गया है:

लिंकेज प्रणाली को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया था। अक्टूबर 2007 में एनसीडीपी के कार्यान्वयन के बाद, 2008 में मौजूदा उपभोक्ताओं के एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन एफएसए का कार्यकाल 5 वर्ष था, जो आज की तारीख में समाप्त हो गया है।

(क) उपर्युक्त के अलावा, लगभग 135 मि.ट. के एसीक्यू के लिए 23 सीपीएसयू इकाइयों का लिंकेज है जो एनआरएस नीति दिनांक 15.02.2016 के अनुसार पांच (5) वर्ष के आधार पर नवीकरणीय है।

(ख) कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान एनसीडीपी व्यवस्था के तहत गैर–विद्युत क्षेत्र के लिए कोई नया एफएसए निष्पादित नहीं किया गया है। तथापि, गैर–विनियमित क्षेत्र को कोयला लिंकेज/एलओए की नीलामी के तहत निष्पादित एफएसए एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति के तहत अलग से दिया गया है।

(ग) विद्युत क्षेत्रों के लिए 2009 से पूर्व के ताप विद्युत संयंत्रों के पास आज की तारीख के अनुसार 223.92 मि.ट. की वैध वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) है।

(ग) राष्ट्रपति के दिनांक 17.07.2013 के निर्देशों के अनुसार, सीआईएल को 78535 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 173 टीपीपी के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने थे, इनमें से 24 मामले टेपरिंग लिंकेज के अंतर्गत कवर किए गए थे

(घ) एनसीडीपी पश्चात विद्युत के लिए वैध एफएसए की वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) 236.95 मि.ट. है।

(ङ) एनसीडीपी पश्चात विद्युत के लिए वैध एफएसए की वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) 236.95 मि.ट. है।

राष्ट्रीय हित में कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, 2022 में नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 में संशोधन के माध्यम से सक्षम प्रावधान किए गए हैं, ताकि सीआईएल/एससीसीएल की बंद/परित्यक्त/बंद खानों से उत्पादित कोयले को कोयला मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी और उद्देश्यपरक तरीके से बेचने की अनुमति दी जा सके।

10. एनसीडीपी के लिए आगे नई नीतियां:

गैर–विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए लिंकेज नीलामी

10.1 गैर–विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए लिंकेज नीलामी

सीआईएल कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15.02.2016 के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–विनियमित क्षेत्र के तहत स्पंज आयरन, सीमेंट, सीपीपी, 'अन्य (नॉन–कोकिंग)', स्टील (कोकिंग) और 'अन्य (कोकिंग)' उप–क्षेत्रों के लिए

कोयला लिंकेज की नीलामी आयोजित कर रहा है। बाद में अन्य (कोकिंग) और अन्य (गैर–कोकिंग) उप–क्षेत्र को एकल एकीकृत 'अन्य' उप–क्षेत्र के रूप में विलय कर दिया गया, साथ ही एनआरएस लिंकेज ई–नीलामी की दौर VII में एक नया उप–क्षेत्र 'कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस का उत्पादन' शुरू किया गया था।

एनआरएस लिंकेज ई–नीलामी के अंतर्गत नीलामी के सात दौर पूरे हो चुके हैं जिसमें गैर–विद्युत मॉड्यूलेटेड अधिसूचित मूल्य की तुलना में लगभग 30% के औसत प्रीमियम पर लगभग 177.64 एमटीपीए वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किए गए हैं। सात दौर के तहत बुक की गई मात्रा नीचे दी गई है।

उप क्षेत्र ↓ / दौर →	I	II	III	IV	V	VI	VII	कुल
स्पंज आयरन	2.05	4.29	2.54	6.37	4.19	10.98	1.94	32.35
सीमेंट	0.68	0.77	0.12	4.26	2.95	0.95	3.49	13.22
सीपीपी	18.07	8.18	4.59	15.90	38.33	11.88	7.22	104.18
अन्य (कोकिंग)	-	0.04	0.36	2.17	1.00	0.42	-	3.99
अन्य (नॉन–कोकिंग)	1.34	1.27	0.67	6.00	2.89	2.28	-	14.45
अन्य	-	-	-	-	-	-	4.75	4.75
इस्पात (कोकिंग)	-	0.22	0.00	0.65	1.30	0.15	2.39	4.71
सिनगैस	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
कुल	**22.14**	**14.76**	**8.28**	**35.35**	**50.66**	**26.66**	**19.79**	**177.64**

सीमेंट सबसेक्टर से शुरुआत करते हुए आठ किस्तों के तहत नीलामी चल रही है।

शक्ति के तहत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेज

सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए)–ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) व्यवस्था को समाप्त करने को मंजूरी दे दी और भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन हेतु स्कीम (शक्ति), 2017 पेश की, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 22.05.2017 को जारी किया गया था। उक्त नीति में वर्ष 2019 और 2023 में संशोधन भी किए गए हैं।

अब तक, नीति के विभिन्न पैराओं के अंतर्गत निम्नलिखित क्षमताओं के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किए गए हैं –

i. शक्ति नीति के पैरा ए (i) के प्रावधानों के तहत 8,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले आश्वासन पत्र (एलओए) धारकों को ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी गई है।

ii. शक्ति नीति के पैरा बी (i) के प्रावधानों के तहत 58 थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) को 63,670 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।

iii. शक्ति बी (ii) के अंतर्गत नीलामी के कुल छह दौर आयोजित किए गए हैं जिनमें कोयला लिंकेज की बुक की गई कुल मात्रा 38.90 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है।

iv. शक्ति पैरा बी (iii) के अंतर्गत नीलामी के छह दौर आयोजित किए गए हैं और लगभग 40.27 एमटीपीए कोयला लिंकेज बुक किया गया है।

v. शक्ति पैरा बी (iv) के अंतर्गत गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम और केरल राज्यों को क्रमश 4000 मेगावाट, 5600 मेगावाट, 6740 मेगावाट, 3299 मेगावाट, 1600 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 4100 मेगावाट, 500 मेगावाट और 500 मेगावाट की क्षमता के लिए कोयला लिंकेज निर्धारित किए गए हैं।

vi. शक्ति नीति के पैरा बी (v) के तहत, 4500 मेगावाट की क्षमता के लिए कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

शक्ति नीति के पैरा बी (viii) (ए) के तहत कोल इंडिया

लिमिटेड द्वारा लिंकेज नीलामी के 20 दौर का आयोजन किया गया है और सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 76.30 मि.ट. कोयला बुक किया गया है।

11. आयात प्रतिस्थापनः

देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। सरकार का ध्यान कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा देश में कोयले के गैर–जरूरी आयात को समाप्त करने पर है। कोयला आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) एसीक्यू को उन मामलों में नियामक आवश्यकता के 100% तक बढ़ाया गया है, जहां एसीक्यू को या तो नियामक आवश्यकता (गैर–तटीय) के 90% तक कम कर दिया गया था अथवा जहां एसीक्यू को नियामक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी जिससे आयात निर्भरता कम होगी।

(ii) शक्ति नीति के पैरा बी (viii) (ए) के प्रावधानों के तहत, विद्युत विनिमय के माध्यम से या दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में उस लिंकेज के माध्यम से उत्पन्न विद्युत की बिक्री के लिए अल्पावधि के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, 2020 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 साल तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए प्रस्तावित कोयले तथा 30 वर्षों तक की अवधि के लिए गैर–विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोयला लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(iii) सरकार ने 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कोयला कंपनियों द्वारा ट्रिगर स्तर और वार्षिक संविदात्मक मात्रा स्तरों पर ध्यान दिए बिना उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयातों पर निर्भरता कम होगी।

(iv) कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय में 29.05.2020 को एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियों और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अब तक अंतर–मंत्रालयी समिति की 11 बैठकें आयोजित की गई हैं। आईएमसी के निर्देशों पर कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयातों का पता लगा सके। कोयले की और अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार, संपूर्ण प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले को देश द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और बहुत आवश्यक के अलावा कोई आयात नहीं होना चाहिए। कोयला आयात प्रतिस्थापन पर एक कार्यनीति पत्र जारी किया गया है।

(v) गैर–विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामियों के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप–क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का इस्पात' सृजित किया गया है, जिससे देश में घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी और धुले हुए कोकिंग कोयले की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे कोकिंग कोयले का आयात कम होगा।

12. कोयला उपभोक्ता परिषदः

सीआईएल ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा अभिकल्पित और विकसित केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को अपनाया है।

सीपीजीआरएएमएस के पीजी पोर्टल का उपयोग सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के लिए एकल विंडो के रूप में किया जाता है। नोडल अधिकारियों की सूची और उनके संपर्क विवरण के साथ वेब साइट में पीजी पोर्टल के लिए लिंक प्रदान किया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। शिकायतों और उनके प्रत्युत्तर की नियमित रूप से शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा निगरानी/समीक्षा की जाती है जिसमें मुख्य प्रबंधन अधिकारी शामिल होते हैं। बिना किसी देरी के शिकायत का निवारण करने के लिए कार्रवाई की जाती है और परिणाम पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। जहां कहीं अंतरिम उत्तर की आवश्यकता होती है, ऐसे उत्तर भी शिकायतकर्ता को भेजे जाते हैं।

यदि शिकायतें/शिकायतें कोयला कंपनियों से संबंधित होती हैं तो नोडल अधिकारी उसे संबंधित कोयला कंपनियों को उनकी टिप्पणियों/कार्रवाई के लिए अग्रेषित करते हैं। टिप्पणियां/स्थिति प्राप्त होने के तुरंत बाद शिकायतकर्ता को उपयुक्त रूप से सूचित किया जाता है, इस प्रकार शिकायत को बंद कर दिया जाता है। यदि कोई शिकायत सीआईएल के किसी अन्य विभाग के कार्यकरण से संबंधित होती है तो उसे संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है। इस प्रकार सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों/शिकायतों का निपटान शीघ्रता और कुशलतापूर्वक किया जा रहा है।